

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 (कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून

①

पत्रांक 4113 प्र030 / सिं0वि0 / का0-2/ई-15 / स्था0

दिनांक 08 जून 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसंधियोग अधिस्थान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्बन्ध अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में रत्नद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0	नाम/जन्मतिथि/ मृजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री ताजबर सिंह/ 02.01.67 / पौड़ी	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बैजरो	धारा-07(क)(ख)	अधिनियम की धारा 7(ग) में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यमार द्वारा करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 10 वर्ष, जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त करना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपरोक्त कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रवीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किसी उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डीय होगा।

एन0के0 शर्मा
 मुख्य अभियन्ता(वात्रिक)

संख्या : 4113 प्र030 / कार्मिक-2 / तदिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
 सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता रत्न-1 / रत्न-11, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- विमांगी पोर्टल/वैक्साईट पर अपलोड हेतु
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।

मेरिच
 (मिहन चन्द्र पाण्डेय)
 वरिच स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 (कार्मिक अनुगम-2) सिंचाई विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक ४११४ प्र०अ० / सिं०वि० / का०-२ / ई-१५ / रथा०

दिनांक 08 जून 2018

— कार्यालय झाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत व्याधिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसूचीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के समुख अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्रमांक	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री राकेश सिंह रावत /17.10.68 /पौड़ी	नलचूप खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	धारा-07(क)(ख)	अधिनियम की धारा १(ग) में निहित प्राविधिकानुसार स्थानान्तरित कार्यालय से कार्यालय प्राप्त करने की तिथि से ०३ घण्टा ५० मिनट तक भी अधिक नहीं।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधिकों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्यालय को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मत करना होगा।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
 - स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपर्योग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
 - स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रखीकृत नहीं किया जायेगा।
 - स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यावाही की जायेगी।
 - यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बंधियों से प्रत्येवेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अभिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्येवेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अकित किया जायेगा।
 - यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यावाही की जायेगी। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किसी उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

संख्या : ४१५ / प्र०अ० / कार्मिक-२ / तदिनांक

एन०के० शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-
सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर - I / स्तर - II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित कोषाधिकारी।
 - विभागीय पोर्टल / वैबसाइट पर अपलोड हेतु
 - वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
 - कट फाईल हेतु।

May
(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुसारग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

3

पत्रांक ४।।५ प्र०३०/सिंचाई/का०-२/ई-१५/रथा०

दिनांक ०८ जून २०१८

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय से अनुसंचितीय अधिकारान में कार्यालय निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-३ में अंकित कार्यालय से कालम-४ में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	नाम/जन्मतिथि/ मृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा	हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6	
१	श्री आनन्द सिंह/ 17.04.68/ देहरादून	सिंचाई खण्ड, कालसी	सिंचाई खण्ड, पुरोला	धारा-०७(क)(ख)	धारा ७(ग) में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यालय घटण करने की तिथि से ०३ बर्ष अध्या १० वर्ष, जो भी पहले हो।	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रवीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-२००३ (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उवत आदेश या निरेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपवर्णों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली २००३ (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क०० शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यात्रिक)

संख्या : ४।।५ प्र०३०/कार्मिक-२/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-।/स्तर-।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- विभागी पोर्टल/वैबसाईट पर अपलोड हेतु
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु

(मोहन चन्द्र पाण्डे)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

MCW

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुसारग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

५

पत्रांक 4116 प्र030/सिंचाई/का0-2/ई-15/स्था0

दिनांक 08 जून 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसविवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एवं दद्दाहा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा	हेतु अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री नन्द किशोर जोशी /20.11.70/पिथौरागढ़	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	धारा-07(क)(ख)	अधिनियम की धारा 7(ग) में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अवधि 10 वर्ष जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समर्गय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपरोक्त कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा

मुख्य अभियन्ता(यात्रिक)

संख्या : 4116/प्र030/कार्मिक-2/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता रत्तर- ।/रत्तर- ।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कार्यालय कार्याधिकारी।
- विभागी पोर्टल/वैबसाइट पर अपलोड हेतु
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।

मौहन चूड़ा पाण्डु
(मौहन चूड़ा पाण्डु)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

३

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक ४११७ प्र०३०/सिं०वि०/का०-२/ई-१५/स्था०

दिनांक ०८ जून २०१८

कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसंचीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-३ में अंकित कार्यालय से कालम-४ में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
१	२	३	४	५	६
१	श्री दिनेश चन्द्र/ 10.07.73/ हरिद्वार	स्थापना खण्ड, रुड़की	पी०एम०जी०एस०वाई०० सिंचाई खण्ड, चम्बा	धारा-०७(क)(ख)	अधिनियम की धारा ८(ए) में निहित प्राविधिकानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ०३ वर्ष अधारा १० वर्ष, जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निमानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आव्याप्त तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपरोक्त कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकते हैं।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा २४ के अनुसार दंडाल्पत्र कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-२००३ (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली २००३ (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क०० शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : ४११७/प्र०३०/कार्मिक-२/तदिनांक

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-१, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कार्यालयी।
- विभागी पोर्टल/वैवसाइट पर अपलोड हेतु
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।

M.M.
(महेन्द्र चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

(6)

पत्रांक २११० प्र०३०/सिंच०वि०/का०-२/ई-१५/स्था०

दिनांक ०८ जून २०१८

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसंचितीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के समुख अंकित कालम-३ में अंकित कार्यालय से कालम-४ में अंकित कार्यालय में एतदब्बारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० सं०	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा	हेतु अधिनियम में निहित प्राविधिकानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेश कुमार शर्मा / 01.07.63 / बुलन्दशहर	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड-१ नई टिहरी	धारा-०७(क)(ख)	अधिनियम की धारा ७(ग) में निहित प्राविधिकानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यमार ग्रहण करने की तिथि से ०३ वर्ष अवधि १० वर्ष जो भी पारते हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रधेक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समयमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपर्योग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश खीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावैदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावैदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क०० शर्मा

मुख्य अभियन्ता(यात्रिक)

संख्या : ४११०/प्र०३०/कार्मिक-२/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता रत्तर-१/रत्तर-१, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- विभागीय पोर्टल/वैवराइट पर अपलोड हेतु
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संझानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु

(मोहन चन्द्र-पाण्ड्य)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुमान-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

(३)

पत्रांक ४/११९ प्र०३०/सि०वि०/का०-२/ई-१५/स्था०

दिनांक ०८ जून २०१८

— कार्यालय ज्ञाप —:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसंधिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अकित कालम-३ में अकित कार्यालय से कालम-४ में अकित कार्यालय में एतद्वारा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०	नाम/जन्मतिथि/ सं०	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री हरीश रावत/ 10.05.83 / बागेश्वर	नलकूप खण्ड, बहादराबाद (हरिद्वार)	सिंचाई खण्ड, अगरस्तमुनी (केदारनाथ)	धारा-13(१)	अधिनियम की धारा ७(४) में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार वितरण करने की तिथि से ०३.०६. अधिवा १० वर्ष, जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित नियमानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिकों को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे—

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिकों को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार साम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०के० शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : ४/११९/प्र०३०/कार्मिक-२/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-१।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- विभागी पोर्टल/वैबसाइट पर अपलोड हेतु
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डे)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुमान-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4120 प्र030/सिंचाई/का0-2/ई-15/स्था0

दिनांक 08 जून 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुशासित अधिकार भवित्वात् उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ मृणनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा	हेतु प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री त्रिलोक सिंह नेगी / 14.03.65 / चमोली	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर रुद्रप्रयाग	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर	धारा-07(क)(ख)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को नियंत्रित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मान कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपरोक्त कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण शोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ड़लवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0कौ0 शार्मा

मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

4120
संख्या : / प्र030/कार्मिक-2/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-।/स्तर-।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी सम्बन्धित, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- विभागी पोर्टल/वैबसाइट पर अपलोड हेतु
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।

M.Cm
(शोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

(१)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुमान-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पंचांक 412) प्र०30/सिंच०/का०-२/ई-१५/स्था०

दिनांक 08 जून 2018

— कार्यालय झाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसंचिवीय अधिस्थान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनाहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं.	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा	हेतु प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुशीला परमार / 02.01.80 / उत्तराकाशी	सिंचाई खण्ड, पुरोला	परियोजना खण्ड, देहरादून	धारा-07(क)(ख)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को नियंत्रित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे—

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश रखीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रबाली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ड़लवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०के० शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 412) प्र०30/कार्मिक-२/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-।/स्तर-।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- विभागी पोर्टल/वैबसाईट पर अपलोड हेतु
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।

(मोहन बहू पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-२)
कृते प्रमुख अभियन्ता

(४)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 (कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून

दिनांक 08 जून 2018

पत्रांक ४। २२-प्र०३०/सिं०वि०/का०-२/ई-१५/स्था०

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसंचीय अधिकारियों में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा	हेतु प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री हमीर सिंह/ 18.08.81/ठिहरी	सिंचाई खण्ड, ठिहरी	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	धारा-13(1)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रधान कार्यकारी विभाग को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को समय कार्यमुक्त करना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपर्योग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।


एन०क० शर्मा

मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : ४। २२-प्र०३०/कार्मिक-२/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-।/स्तर-।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- विभागी पोर्टल/वैबसाइट पर अपलोड हेतु
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।


 (मोहन चन्द्र पाण्डेय)
 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

(11)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 (कार्मिक अनुमान-2) सिंचाई विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4-123 प्र030/सिंचाई/का0-2/ई-15/स्था10

दिनांक 08 जून 2018

— कार्यालय झाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसंचित अधिष्ठान में कार्यरत प्रधान सहायक को उनके नाम के समुख अंकित कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०	नाम/जान्मतिथि/ सं0 गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती विजय लम्भी /06.09.81/ चमोली	सिंचाई खण्ड, चमोली	परियोजना खण्ड, देहरादून	धारा-10(क)(ख)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तरात् कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मत कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसरित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव ड़लवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुशासन अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा

मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4123 प्र030/कार्मिक-2/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-।/स्तर-।।, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- विभागी पोर्टल/वैबसाइट पर अपलोड हेतु
- वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- कट फाईल हेतु।

(श्रीहनु ब्रन्द पाण्डेय)
 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
 कृते प्रमुख अभियन्ता